



## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

### लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 3909 वर्ष 2026

मनोज उर्फ कलू

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता  | : विनीत कुमार मिश्र, राजीव कुमार बाजपाई |
| प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता | : शासकीय अधिवक्ता                       |

#### न्यायालय संख्या – 12

#### माननीय न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, जो थाना मझिला, जिला हरदोई के अपराध संख्या 159 वर्ष 2021, धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत संलिप्त है।
3. प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में थाना मझिला, जिला हरदोई के अपराध संख्या 159 वर्ष 2021, धारा 307 एवं 34 भा.द.सं. के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11527 वर्ष 2022 में दिनांक 1.8.2024 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई थी। प्रार्थी लगभग तीन वर्षों तक कारागार में रहा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि घायल की मृत्यु के पश्चात, धारा 216 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र पर मामले

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को धारा 302 भा.द.सं. में परिवर्तित कर दिया गया और प्रार्थी को पुनः दिनांक 15.3.2026 को कारागार भेज दिया गया, जहाँ वह तब से निरुद्ध है। कुल कारावास की अवधि तीन वर्ष से अधिक है।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना दिनांक 5.5.2021 को घटित हुई थी और घायल की मृत्यु दिनांक 26.5.2022 को, अर्थात् घटना के एक वर्ष 22 दिन पश्चात हुई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह इंगित करे कि घटना के 1 वर्ष 22 दिन पश्चात घायल की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार में मृतक के शरीर पर दो चोटें पाई गई थीं, किंतु वे यह इंगित नहीं करतीं कि मृतक की मृत्यु उक्त चोटों के कारण हुई। चोटों का विवरण निम्नानुसार है:-

i. त्रिकास्थि क्षेत्र (पीठ का निचला भाग) में 15 सेमी X 13 सेमी के क्षेत्र में (बेड सोर) बिस्तर के घाव मौजूद थे, जो हड्डी तक गहरे थे, त्रिकास्थि (सैक्रम बोन) अनावृत थी और मवाद था।

ii. दाहिने टखने के जोड़ के बाहरी हिस्से पर 4 सेमी X 3 सेमी और बाएं टखने के जोड़ के बाहरी हिस्से पर 3 सेमी X 0.5 सेमी का संक्रमित घाव मौजूद था, दोनों घावों में सूजन और मवाद था।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि प्रार्थी के आपराधिक इतिहास को जमानत प्रार्थना पत्र के परिच्छेद 20 में स्पष्ट किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी 15.3.2026 से कारागार में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों को विवादित नहीं कर सके।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के पश्चात, इस तथ्य को देखते हुए कि प्रार्थी तीन वर्ष से अधिक समय तक कारागार में रहा है, घायल की मृत्यु घटना के 1 वर्ष 22 दिन पश्चात हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वर्णित चोटें यह संकेत नहीं देतीं कि मृत्यु उक्त चोटों के कारण हुई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने हेतु उपयुक्त

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामला पाता हूँ।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. अपराध संख्या 159 वर्ष 2021, धारा 307 एवं 34 भा.द.सं., थाना मझिला, जिला हरदोई में अंतर्ग्रस्त प्रार्थी मनोज उर्फ कल्लू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र एवं उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्यायहित में निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- i. प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- iii. प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विरत किया जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- iv. प्रार्थी इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।
- v. प्रार्थी नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।
- vi. यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्धोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री जफ़ीर अहमद)

4 जून, 2026

कन्हैया

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।